papers ; it discriminates also between English and Indian language newspapers. The small newspapers enquiry committee had recommended to the government to give more advertisements to Indian language papers, small and medium size newspapers. The DAVP has acted upon those recommendations and has started releasing more advertisements to small newspapers. I do not want to go into the merits and demerits of political party newspapers. I am concerned, and many more are concerned, with small and medium-size newspapers. The Indian Language Newspapers Association has requested the government that DAVP should release UPSC advertisements to small newspapers because they are also important from the point of view of news value. But the big newspapers and Indian and Eastern Newspapers Association are opposing that move. In that case, the small and medium-size newspapers will be in a difficult position...

MR. SPEAKER : Order, order. Instead of asking a question, he is making a speech. We will now take up the Short Notice Question.

SHORT NOTICE QUESTION

गालिब पर कवि सम्मेलन

SNQ 5. **श्री मधु लिमये :**
श्री जार्ज फरनेन्डीज :

क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गालिब शताब्दी मनाने के लिए आयोजित कवि सम्मेलन में पढ़ी गई एक कविता 17 फरवरी, 1969 को कुछ कांटछांट और परिवर्तन के बाद प्रसारित की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो कविता के इस अनुचित सम्पादन के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या दिल्ली के कुछ लेखकों ने इसके विरोध में एक वक्तव्य जारी किया है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : (क) और (ख). गालिब शताब्दी समारोह के सम्बन्ध में एक कवि सम्मेलन सम्बन्धी रेडियो रिपोर्ट 17 फरवरी, 1969 को आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र से प्रसारित की गई थी। रेडियो रिपोर्ट में उक्त सम्मेलन में पढ़ी गई कविताओं से उद्धरण लिए गए थे। क्योंकि यह एक रेडियो रिपोर्ट थी, रिले नहीं था, अतएव केवल कविताओं के उद्धरण शामिल किये गये थे। किसी भी कविता को बिगाड़ा या अनुचित सम्पादन नहीं किया गया।

(ग) श्री जार्ज फरनेन्डीज ने उस वक्तव्य की एक अहस्ताक्षरित प्रति भारत सरकार को भेजी है, जो हिन्दी लेखकों और कवियों के एक समूह द्वारा जारी किया गया बताया जाता है।

(घ) वक्तव्य में आकाशवाणी पर जो आरोप लगाये गये हैं, सरकार द्वारा उनको स्वीकार नहीं किया जा सकता।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय के नाम में "सत्य" भी है और "नारायण" भी, लेकिन उनका जो उत्तर है, उसमें मैं सत्य का अभाव पाता हूं।

श्री शिवाजीराव डॉ० देशमुख : "सिंह" भी है।

श्री मधु लिमये : मैं यह सवाल उठा रहा हूं कि उनका रेडियो कविता सुन्दरी के साथ छेड़खानी क्यों करता है। इसलिए "सिंह" की बात इसमें नहीं आती है।

मन्त्री महोदय से इस विषय को लेकर अपने वक्तव्य में जो बातें कही हैं, उनमें मैं तीन गलतियां या असत्य बातें पाता हूं। एक तो उन्होंने कहा है, "जितनों ने कविता पढ़ी, सबकी कविता में से काटा गया हैं समय के मुताबिक"। यह उनका बिल्कुल असत्य भाषण है। दूसरी बात उन्होंने यह कही है, "दो तीन आदमियों की कवितायें दो मिनट की, तीन मिनट की थीं, उनके समय में से क्या काटा जाता"। लेकिन सही बात यह है कि अधिकतर शायरों और कवियों ने दो दो कवितायें पढ़ीं और दो में से उन्होंने एक ले ली और उसमें कांट-छांट

नहीं की । यह भी उनकी गलती है । तीसरी गलत बात उन्होंने यह कही है, "श्री कैलाश वाजपेयी की दस मिनट की कविता थी"। अध्यक्ष महोदय, यह कविता सिर्फ डेढ़ सफहे की है । अगर आप मुझे हुक्म दें, तो मैं इस पूरी कविता को पढ़ सकता हूँ और आप घड़ी से देख लीजिए कि इसको पढ़ने में कितना समय लगता है । श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा सदन में नहीं हैं, वर्ना मैं यह शायरी करने का काम उनको सौंप देता । मैं इस कविता में से केवल एक उद्धरण देता हूँ, जिसको काट दिया गया है, वर्ना मैं पूरी कविता पढ़ कर साबित कर देता कि इसमें पाँच मिनट से अधिक समय नहीं लगता है । श्री कैलाश वाजपेयी की एक कविता है, "एक खत गालिब के नाम"। इसमें से दो हिस्से काटे गये हैं । मैं उनमें से सिर्फ एक हिस्सा पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ:

"तुम कहा करते थे बख्श दो मगर असद,
लोग खता करते हैं धोंस भी जमाते हैं
हर आने वाले मंत्री के साथ
पिछले सब वायदे गुड्डप हो जाते हैं "।

दूसरी कविता है श्रीकान्त वर्मा की, जिसका नाम है, 'समाधि लेख"। मैं उसका भी काटा हुआ हिस्सा पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ :

"कुछ लोग मूर्तियाँ बना कर फिर
बेचेंगे क्रान्ति की (अथवा षड्यन्त्र की)
कुछ और लोग सारा समय
कसमें खायेंगे लोकतंत्र की "।

चूंकि इन दोनों कविताओं में इन लोगों पर कटाक्ष था, इसलिए इनका संस्करण, सम्पादन, किया गया । एक जमाना वह भी था कि जब गालिब साहब भी बहुत अच्छी कविता और शायरी करते थे और उन्हें अंग्रेजों के द्वारा बहुत तकलीफ दी जाती थी । क्या लोकतंत्र में सत्य नारायण जी भी कविता-सुन्दरी के साथ इसी तरह छेड़खानी करने देंगे ?

SHRI RANDHIR SINGH : This is parody ; not poetry.

श्री सत्य नारायण सिंह : सदन ने समझ लिया होगा कि माननीय सदस्य ने जो पढ़ा है, उसमें कहां छेड़खानी हुई है । मैं इसका फैसला सदन पर ही छोड़ता हूँ ।

श्री मधु लिमये : सदन तो समझ चुका है कि चूंकि इन लोगों पर कटाक्ष था, इसलिए उन अंशों को काट दिया गया ।

श्री सत्य नारायण सिंह : रेडियो ब्राडकास्ट का यह तरीका आज से नहीं, बल्कि जब से रेडियो का जन्म हुआ है, करीब करीब उसी वक्त से चल रहा है ।

श्री एस० एम० जोशी : क्या तरीका है ?

श्री रवि राय : वह तरीका गलत था ।

श्री मधु लिमये : मंत्री महोदय अपनी तीन गलतियों का खुलासा करें । उन्होंने कहा कि श्री कैलाश वाजपेयी की कविता दस मिनट की थी, जब कि वास्तव में वह चार पांच मिनट की थी ।

श्री सत्य नारायण सिंह : क्या माननीय सदस्य वहां पर मौजूद थे ? आज तक यही तरीका रहा है कि म्यूजिक कांफ्रेंस, कवि सम्मेलन या मुशायरा या स्पीचिज वगैरह ऐसे फंक्शन्ज के सम्बन्ध में रिपोर्ट करने के लिए रेडियो के पास दरख्वास्त दी जाती है । लोगों को यह मालूम है कि इस प्रकार की रिपोर्ट में पूरी कार्यवाही को ब्राडकास्ट नहीं किया जाता है, बल्कि उस के कुछ उद्धरण प्रसारित किये जाते हैं । रेडियो रिपोर्ट और रिले में फर्क होता है । जिस प्रकार प्रेस के रिपोर्टर को अख्त्यार और डिसक्रीशन है कि वह हम लोगों की स्पीचिज में से क्या एक्स्ट्रेक्ट दे और क्या न दे, उसी प्रकार रेडियो के रिपोर्टर को भी रेडियो रिपोर्ट के सम्बन्ध में यही अधिकार होता है । वह कार्यक्रम 85 मिनट तक चला, जब कि रेडियो में केवल पचास मिनट का टाइम था । इस स्थिति में 85 मिनट के कार्यक्रम को पचास मिनट में प्रसारित करने के लिए रेडियो के रिपोर्टर को यह अधिकार और डिसक्रीशन है

कि वह उस में कांट-छांट करे, और यह किया गया। आईन्दा के लिए हम लोगों ने सोचा है, और आल-इंडिया रेडियो के डायरेक्टर को कहा है, कि अगर रेडियो को इस तरह के फंक्शन्ज की रिपोर्ट करने के लिए बुलाया जाये, तो आर्गनाइजं को यह स्पष्ट कर दिया जाये कि वहां पर जो कवितायें पढ़ी जायेगी, यह जरूरी नहीं है कि वे सब की सब प्रसारित की जायेंगी। समय नहीं है। अगर उस के लिए वह नहीं तैयार हों तो उस को रिपोर्ट नहीं किया जायेगा, छोड़ दिया जायेगा लेकिन आम जनता...

श्री मधु लिमये : मुझे एक भी प्रश्न का जवाब नहीं मिला अध्यक्ष महोदय, और फिर आप कहेंगे मैं बीच में टोक रहा हूं। मैं ने तीन गलतियों की ओर उन का ध्यान खींचा है। एक-एक का सीधा उत्तर आना चाहिए।

श्री सत्य नारायण सिंह : हम ने कहा है कि दो तीन मिनट की जिन की कविता थी उन का नहीं काटा गया है...

श्री मधु लिमये : कैलाश बाजपेयी की कविता 10 मिनट की थी आप अपने इस बयान को वापस ले लीजिए।

श्री सत्य नारायण सिंह : कैलाश बाजपेयी का 8 मिनट लिखा हुआ है। यह तो न वहां आप थे न हम थे, उन्होंने कितनी देर में कविता पढ़ी यह कैसे हम कह सकते हैं ?

श्री मधु लिमये : फिर आप उस को री-ब्राडकास्ट करवा कर सुन लीजिएगा। इस का रेकर्ड है। आप घड़ी ले कर देख लीजिएगा।

श्री सत्य नारायण सिंह : हमारे पास जो रिपोर्ट है उस के आधार पर मैं बता रहा हूं...

श्री मधु लिमये : आप गलत-बयानी क्यों कर रहे हैं ? आप रसिक आदमी हैं। कविता से आप को प्रेम है। फिर इस तरह की छेड़-खानी क्यों की गई ?...(व्यवधान)...जवाब नहीं दे रहे हैं तो मैं क्या करूं ? आप जवाब दिलवाइए।

श्री सत्य नारायण सिंह : हमारे पास जो रिपोर्ट है उस में दस मिनट लिखा हुआ है। हम तो उसी आधार पर कह रहे हैं। इस का जवाब हम ने राज्य-सभा में भी उस रोज दिया था। हम ने गलत नहीं कहा था। जिन की कविता दो तीन मिनट की थी उन को नहीं काटा है।

श्री मधु लिमये : दो कविताएं उन की थीं। एक आप ने ले ली। तो इस में यह काट छांट कैसे हुई ?

श्री सत्य नारायण सिंह : छोटी सी कविता रही होगी उस को ले लिया होगा। आप यह तो समझिए कि यह डिस्क्रीशन उस रिपोर्टर के ऊपर है जैसे अखबार वालों को डिस्क्रीशन है। हम ने तो उस के लिए कोई खास इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए न वह हम से पूछते हैं। जैसे अखबार का रिपोर्टर कहीं रिपोर्टिंग के लिए गया, उसे मधु लिमये की स्पीच का कोई पोर्शन पसंद नहीं आया, उस ने नहीं छापा तो यह डिस्क्रीशन तो उसी को है।

श्री मधु लिमये : सब से पहले भाषण और कविता में बहुत अन्तर है। भाषणों को तो बिलकुल मेरा ख्याल है प्रसारित ही नहीं करना चाहिए लेकिन आप तो मन्त्रियों के भाषण दिन रात प्रसारित करते रहते हैं।

मेरा दूसरा सब्मीशन यह है कि मन्त्री महोदय स्वयं रसिक हैं, कविता पढ़ते हैं, तुलसी रामायण से उद्धरण भी अक्सर दिया करते हैं, इन दिनों में उन को क्या हुआ है, पता नहीं है, तो क्या वह सदन को यह आश्वासन देंगे कि उन के कार्यालय में कवियों को और ललित लेखकों को, मैं मंत्रियों के भाषणों की बात नहीं कर रहा हूं, उस में लालित्य कुछ नहीं रहता है, कवियों और ललित लेखकों को प्रोत्साहन देने के लिए यह आश्वासन वह देंगे कि भविष्य

में उन के कार्यालय में इस तरह का संस्करण या सम्पादन नहीं किया जायेगा ?

श्री सत्य नारायण सिंह : मैं ने तो पहले जवाब दिया है कि हम ने आल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर को कहा है कि आइन्दा से इस तरह के फंक्शन हों तो समय के मुताबिक उन से आप कह दीजिए.....

श्री मधु लिमये : मैं ने यह नहीं पूछा था। मैं ने यह कहा था कि इस तरह का आश्वासन आप दीजिए कि यह काट छांट नहीं होगी, सम्पादन नहीं होगा और ललित साहित्यकारों और लेखकों के स्वातंत्र्य पर आघात नहीं होगा।

श्री सत्य नारायण सिंह : देखिए न, जब रिले होगा तो रिले में और एडिटेड ब्राडकास्ट में यही फर्क है। जहां रेडियो रिपोर्ट ब्राड-कास्ट होगा उस में उसे अख्त्यार है जिसको नहीं पसद हो, वह नजाय, लेकिन काट छांट अवश्य होगी। लेकिन जहा रिले होगी उस में पूरी की पूरी कविता प्रसारित की जाती है और वह निकलती है।

श्री जार्ज फरनेन्डीज : जो मन्त्री महोदय, ने कहा, रिले और ब्राडकास्ट का कुछ अंतर वह हम लोगों को बताना चाहते हैं, तो यह समझ में नहीं आता है कि इस काट छांट में ऐसी ही पंक्तियां क्यों चली गई जिस में आप लोगों के ऊपर या जो आप की व्यवस्था है उस के ऊपर कुछ आलोचना थी। मधु लिमये ने दो पंक्तियां सुनाई। मैं श्री कैलाश बाजपेयी की यह दूसरी पंक्ति सुना देना चाहता हूं, जरा सुनिए :

"जहां कही छोड़ी थी तुम ने दिल्ली
दस कदम आगे है अब तबाही में
रोज इस शहर में नया हुकम होता है
जैसा कुछ था अठारह सौ सतावन में
अब वैसा रोज-रोज होता है।"

अध्यक्ष महोदय, एक चीज इस से आप को महसूस होगी कि सिर्फ उन्हीं पंक्तियों को हटाया है कि जिन से आप को तकलीफ होती है। इसलिए आप का यह जो तर्क है इस में कोई तथ्य नहीं है।

अब मैं यह पूछना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय का जो यह कहना है कि यह दो कविताएं, श्री कैलाश बाजपेयी और श्री श्रीकांत वर्मा की, यह काफी लम्बी थीं, इसलिए उस में काट छांट हो गई, क्या यह सही नहीं है कि जो कविताएं आप ने पूरी दीं उन में कई कविताएं इन दो कविताओं से ज्यादा समय की आप ने आकाशवाणी से प्रसारित की हैं ?

(2) जो कापी राइट ऐक्ट है उस में क्या यह आप के ऊपर बन्धन नहीं है कि किसी भी कवि की रचना, राष्ट्रपति का भाषण या मोरार जी भाई अथवा श्रीमती इन्दिरा नेहरू गांधी के भाषण की बात मैं नहीं कर रहा हूं, किसी भी कवि की रचना को 6 पंक्तियों से ज्यादा देने के लिए आप को उन की अनुमति की जरूरत है ?

श्री सत्य नारायण सिंह : जो उन्होंने कापी राइट ऐक्ट के बारे में सवाल किया है, हम ने ला मिनिस्ट्री से भी कंसल्ट किया...(**व्यवधान**)...जो कानून है उस कानून के मुताबिक यह चीज उस पर लागू नहीं होती है। जो प्रेस रिपोर्ट होती है या रेडियो के ब्राडकास्ट होते हैं, यह एक्सेप्शन है उस में। जैसा मैं ने कहा कि हर एक आदमी जब कविता पढ़ने के लिए माइक पर जाता है तो उस की अनुमति उस में होती है तभी तो जाता है। उस की अनुमति से ही तो वह रेडियो पर ब्राडकास्ट होता है। वह आते हैं माइक पर अपनी कविता सुनाने तो उन की तो अनुमति हो गई। अगर नहीं होती तो माइक पर क्यों आते। इसलिए उस में यह चीज लागू नहीं होती है कानूनी हिसाब से न प्रेस रिपोर्ट पर और न रेडियो ब्राडकास्ट पर। और मैं ने इसीलिए कहा कि अगर इस तरह की बात हो तो आइन्दा हम लोग पूछ लेंगे, जो कविता पढ़ना चाहते हैं वह यह कहें कि पूरी कविता जब तक नहीं प्रसारित होगी तब तक नहीं पढ़ेंगे तो वह न पढ़ें लेकिन हम यह आश्वासन नहीं

दे सकते हैं कि जितने लोग भी कविता पढ़ेंगे वह सारी की सारी पूरी प्रसारित होगी। मैं आप को बताऊं, उस के पहले चार सिम्पोजियम हो चुके हैं उसी महीने में जिस में वाइस प्रेजीडेंट गए और एक में प्रेजीडेन्ट गये थे, कहीं कहीं पर यह सवाल नहीं उठा। हर जगह इसी तरह की काट छांट हुई है। अब उन्होंने थोड़ा सा सुनाया भी जहां से कि उसे काटा है, वह हमी लोगों पर आक्षेप था, यह हो सकता है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि वह हम लोगों से राय ले कर काटते हैं ?

श्री जार्ज फरनेन्डीज : आप की नीति है, सरकार विरोधी काटो।

श्री सत्य नारायण सिंह : नीति नहीं है। अगर नीति होती तो आप आल इंडिया रेडियो में जा कर देखिए, कोई ऐसी चीज नहीं है। सरकार की आलोचना सख्त से सख्त की जाती है और हम ने इस तरह से काम करने का पूरा आदेश दिया है।

श्री जार्ज फरनेन्डीज : अध्यक्ष महोदय, मेरा आधा उत्तर आया। मैं ने यह पूछा था कि क्या यह सत्य नहीं है कि कुछ ऐसी कविताओं को आप ने प्रसारित किया जिन को समय इन दो कविताओं से ज्यादा आप ने दिया ?

श्री सत्य नारायण सिंह : जिस-जिस की कविता थी वह मैंने आप को पढ़ कर बताया और सब में कुछ न कुछ अंश काटा गया।

श्री जार्ज फरनेन्डीज : मेरा प्रश्न और था...

श्री सत्य नारायण सिंह : समय सब का दिया हुआ है। पांच मिनट, पांच मिनट, सात मिनट, आठ मिनट, इस तरह था। जो दो दो तीन-तीन मिनट की थी, उन को नहीं काटा गया है। दो मिनट में क्या काटा जाता ?

SHRI SRADHAKAR SUPAKAR : Since we have so little time to discuss art, music and poetry, why not we have an opportunity of listening to those poems which were omitted and let them be recited by the hon. Minister here ?

MR. SPEAKER : Next time. Mr. Nath Pai.

SHRI NATH PAI : It is not a question who got how much time and how many lines. The issue is whether bureaucrats should be allowed to apply censorship to what is essentially an aesthetic issue. It is an aesthetic issue. It will be very dangerous indeed if bureaucrats are to sit in judgment on what a poet should write or should not write. The lines censored, you know, Sir, were slightly critical of the Government. If poets are to be stopped from what they do, I think, we should announce, here and now, that poets should not be born in India hereafter. As I have followed from the reply of the hon. Minister, it is not a question of time or lines. It is a question whether bureaucrats should be the judges of what is good in poetry or not and he should be careful in not encouraging this tendency. We have had an opportunity of listening to the poems. We were also given the poems by the people who feel injured and insulted over this issue. I may tell you, Sir—you will be shocked—the way the All India Radio honour the most creative of Indians. Our speeches and the speeches of the most mighty Ministers will be forgotten and will be assigned to the limbo. But whatever poets and artists are carving will be remembered by the future generation. The poet is honoured by All India Radio by giving a a fee of 4 annas if a poem is read for the second time. I do not think that there is anywhere such a kind of insult. I was a member of Ashok Chanda Committee and I know. We used to give 12 annas if it was read for the first time and 4 annas if it was read for the second time. I do not think anywhere poets are honoured like this. May I know whether he will rectify the basic issue that poems shall not be censored. It is up to the All India Radio to reject a poem, but the integrity of the poem cannot be allowed to be broken by tempering with it.

SHRI SATYA NARAYAN SINHA : As I have already explained, it is not a

question of censor. I think, the hon. Member will understand that there is some difference between editing and censoring. The practice so far has been of editing such poems and such speeches. This has been done up til now...

SHRI NATH PAI : Is censorship allowed in poems ?

SHRI SATYA NARAYAN SINHA : No.

SHRI NATH PAI : Will you issue that directive ?

SHRI SATYA NARAYAN SINHA : Yes.

SHRI NATH PAI : What was it then ?

SHRI SATYA NARAYAN SINHA : According to the time allotted, according to the availability of time, some extracts had to be taken. There was no other way.

SHRI BEDABRATA BARUA : I think, the All India Radio has not been guilty of being subservient to the ruling party. If we go through the reviews, they reveal the independence that it has. In view of the fact that it must function with some discretion at some level, I would like to know whether enough discretion has been given to the All India Radio, whether rules have been made to cut out the cantankerous part either in prose or in poetry, so that it does not hurt any section of the community or political party, whether it is the Opposition or the Congress Party.

SHRI SATYA NARAYAN SINHA : So for as I know, there is no censorship as far as All India Radio is concerned. I have already made a clear that it was not censor, it was editing, and the man who goes there has got the discretion ..... (*Interruptions*)

SHRI HEM BARUA : Can a poem be edited by a bureaucrat ?

SHRI SATYA NARAYAN SINHA : Up til now, for decades, this has been done. Either we relay or there can be no radio broadcast for this kind of poems. If you want that, we will accept it.

MR. SPEAKER : Mr. Banerjee.

SHRI HEM BARUA : Once I was asked to read out a poem—'Optimism—an unfinished poem'. There was an objection...

MR. SPEAKER : Order, order. Mr. Banerjee.

SHRI HEM BARUA : There was an objection from the All India Radio that the poem was unfinished. But optimism itself is an unfinished one.

MR. SPEAKER : Mr. Banerjee.

श्री शिवचरण लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं खुद कवि हूं, मेरे साथ भी धांधली हुई है। मैं भी आकाशवाणी जाया करता हूं।

MR. SPEAKER : You cannot dictate to me like this. There are too many Kavis. This is not Kavi Parishad.

MR. BANERJEE.

श्री स० मो० बनर्जी : आज अगर मिर्जा असदउल्ला खां गालिब साहब जिन्दा होते और यह जवाब सुनते तो वह कहते—

"हम को उन से वफ़ा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है।" इस लिये मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं—आप कवि गालिब की शताब्दि के मौके पर गालिब की यादगारों को ताजातरीन करना चाहते हैं, लोगों में उन की यादगार को ताजा बनाने के लिये आप और क्या चीजें कर रहे हैं. गालिब जिस जुबान में कविता लिखते थे फारसी और उर्दू—उस जुबान की तरक्की के लिए आल इंडिया रेडियो ने क्या प्रोग्राम बनाये हैं ?

श्री सत्य नारायण सिंह : जहां तक गालिब की शताब्दि को मानने का सवाल है, इस तरह के समारोह और सिम्पोजियम किये गये हैं, शायद ही किसी दूसरे कवि को इस तरह का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो। एक दफा कवि सम्मेलन में मैंने साफ कहा है कि जब रिले होगा, जितनी कविता कहेंगे, सब की सब ब्राडकास्ट की जायेंगी, लेकिन इस बात को समझ रखिये

कि या तो इस को बन्द कर दिया जाय या रेडियो ब्राडकास्ट के जो मायने हैं, उस में एडिट भी होगा, कांट-छांट भी होगा। पढ़ने वाले की खुशी है कि.....

श्री स० मो० बनर्जी : मैं ने उर्दू जुबान की तरक्की के लिये पूछा है।

श्री सत्य नारायण सिंह : या तो आप कहें तो इस को बन्द कर दें, इस तरह की चीज न जाय.....

श्री स० मो० बनर्जी : आप नाराज़ न हों।

श्री सत्य नारायण सिंह : दोनों बातें नहीं होंगी। रेडियो ब्राडकास्ट और रिले का जो तरीका है, उस पर हम कायम हैं।

SHRI S. M. BANERJEE : I did not ask about the time allotted. I was only asking about the Urdu language and what encouragement was given to the progress of Urdu language. He has not replied to that.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Complaints Against A. I. R. Station, Calcutta

*456. DR. RANEN SEN : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING AND COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that complaints about the recruitment and promotion of artistes by the authorities of the Calcutta Station of A. I. R. have been brought to the notice of Government ;

(b) whether it is a fact that mediocre artistes who are in good books of the authorities of the Calcutta Station are given preference in the Calcutta Station ; and

(c) if so, the steps taken to eradicate these evils ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING, AND IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS (SHRI I. K. GUJRAL) : (a) to (c). Yes, Sir. There have been complaints and press comments about the recruitment of certain staff artistes. There have also been complaints about the booking of casual artistes. The recruitment of staff artistes is made by selection committees with outside assessors constituted according to the rules. In the normal course, therefore, there should be no basis for such complaints ; but since complaints have been made the matter is being looked into in detail and remedial action will be taken wherever necessary.

भारत में प्रसारण केन्द्र

*457. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय में कितने प्रसारण केन्द्र हैं और वे कहाँ कहाँ पर स्थित है ;

(ख) वर्ष 1969 में कितने नये प्रसारण केन्द्र बनाने का विचार है तथा किन-किन स्थानों पर ;

(ग) क्या देश में कोई ऐसे स्थान भी हैं जहां ये प्रसारण नहीं सुने जा सकते;

(घ) यदि हां, तो इन स्थानों के नाम क्या हैं, और

(ङ) ऐसे क्षेत्रों में प्रसारण की व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रख दिया गया। देखिए संख्या LT—322/69]

(ख) एक नए प्रसारण केन्द्र का उदघाटन डिबरूगढ़ में 15 फरवरी, 1969 को किया गया था। 1969 में और कोई प्रसारण केन्द्र खुलने की सम्भावना नहीं है, परन्तु 1969 में वर्तमान